अन्तर्गत न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, समस्तीपुर

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र सं0–1475 / 2026

मणिकान्त ठाकुर एवं एक अन्य बनाम् बिहार सरकार

14.07.2026 आवेदक / अभियुक्त मणिकान्त ठाकुर एवं 2. जूली कुमारी, जिन्हें मुफ़स्सिल थाना कांड सं0–196 / 2026, अन्तर्गत धारा 126(2),115(2),74,303(2),352,351(2),3(5) भा0 न्या0 सं0, में गिरफ़्तारी की आशंका है, की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी सूचिका जीवन ज्योति के आवेदन–पत्र के आधार पर आवेदकगण के विरूद्ध संस्थित किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार दिनांक 11.04.2026 समय करीब 11.30 बजे वह अपने अधिवक्ता मित्र शारदा कुमारी के साथ कोर्ट कार्य पूरा कर अपने घर पहुंची तो आवेदकगण एक राय करके उसे घर में जाने से रोकने लगे और बोले कि तुम्हारा इस घर में कुछ नहीं है, भागो यहां से। वह उसका बात अनसुना करके घर में जाने ली तो मणिकान्त ठाकुर उसका बाल पकड़कर पटक दिया जिससे उसकी लज्जा भंग हुई और बगल से लोहा का बाल्टी उठाकर जान मारने की नियत से उसके सर पर चला दिया जिससे उसके सर में गंभीर चोट आई और उसका हाथ पकड़कर ग्रील से दाब दिया जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट आई। जूली कुमारी उसकी दोस्त शारदा कुमारी के साथ मारपीट करने लगी। इसी बीच मौका का फायदा उठाकर मणिकान्त ठाकुर उसके गला से सोने का चैन एवं उसकी दोस्त शारदा कुमारी का कान बाली जबर्दस्ती छीन लिया।

आवेदक अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार सिन्हा अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र को प्रचालित करते हुए कथन किये कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष हैं एवं कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण को पारिवारिक विवाद के कारण इस वाद में झूठा फंसा दिया गया है। सूचिका एवं आवेदकगण एक ही परिवार के हैं। सूचिका आवेदक मणिकान्त ठाकुर के बड़े भाई की पत्नी है तथा आवेदिका जूली कुमारी सूचिका की गोतनी है। प्राथमिकी में लगाया गया सारा आरोप असत्य, आधारहीन एवं काल्पनिक है। आवेदकगण सूचिका का देवर एवं गोतनी है और सूचिका की गरिमा को न ठेस पहुंचाया और न चैन व बाली की चोरी किया। आवेदकगण को परेशान करने तथा अपमानित करने के लिए विधि मस्तिष्क की सलाह पर विलम्ब से झूठा वाद दाखिल किया गया है। वास्तविक तथ्य यह है कि सूचिका जीवन ज्योति व्यवहार न्यायालय, समस्तीपुर में अधिवक्ता है जिन्होंने अपने पति के कहने पर अपने ससुर सुरेश ठाकुर एवं सास शांति देवी पर पैत्रिक भूमि एवं घर का उपहार विलेख अपने नाम करने का दबाव डाला और इंकार करने पर सास, ससुर एवं अन्य के विरूद्ध मुफ़स्सिल थाना कांड सं0–486 / 2014 झूठा मामला दर्ज कराया। सुरेश ठाकुर द्वारा सूचिका एवं उसके पति के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर के न्यायालय में सूचना आवेदन–पत्र सं0–285 / 2016 एवं शांति देवी द्वारा महिला

Web Copy

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र सं0–1475 / 2026

लगातार

14.07.2026 थाना में दिनांक 18.04.2026 को आवेदन एवं अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर के न्यायालय में सूचना आवेदन–पत्र सं0–601 / 2026 दाखिल किया गया है जिसमें सूचिका जीवन ज्योति द्वारा शांति देवी के साथ किए गए अत्याचार एवं क्रुरता का उल्लेख है। आवेदकगण के पलायन एवं उनलोगों के द्वारा साक्ष्य के साथ छेड–छाड़ की भी संभावना नहीं है तथा वे बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः आवेदकगण को उनकी गिरफ्तारी या निम्न न्यायालय में आत्म समर्पण करने की स्थिति में जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाये।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध किए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अनुसार घटना के क्रम में आवेदक मणिकान्त ठाकुर सूचिका का बाल पकड़कर पटक दिया जिससे उसकी लज्जा भंग हुई और बगल से लोहा का बाल्टी उठाकर जान मारने की नियत से उसके सर पर चला दिया जिससे उसके सर में गंभीर चोट आई और उसका हाथ पकड़कर ग्रील से दाब दिया जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट आई। आवेदिका जूली कुमारी सूचिका की दोस्त शारदा कुमारी के साथ मारपीट करने लगी। इसी बीच मौका का फायदा उठाकर मणिकान्त ठाकुर उसके गला से सोने का चैन एवं उसकी दोस्त शारदा कुमारी का कान बाली जबर्दस्ती छीन लिया, परन्तु केस दैनिकी की कंडिका 8, 9, 10, 11 में साक्षियों ने कहा है कि मारपीट के क्रम में सोने का चैन एवं कान का बाली आदि लेते हुए किसी व्यक्ति को नहीं देखा है, जबकि वादिनी जीवन ज्योति तथा मणिकान्त ठाकुर के बीच देवर भाभी का रिश्ता है। दोनों पक्षों के बीच घरेलू वाद–विवाद को लेकर झगड़ा–झंझट हुआ है। केस दैनिकी की कंडिका 27 के अनुसार सूचिका से सम्पर्क कर ईलाज से संबंधित सी0टी0 स्कैन एवं एक्स–रे का रिपोर्ट का मांग किया तो वादिनी के द्वारा बताया गया कि अभी नहीं मिल रहा है, मिलने पर रिपोर्ट दे देंगे। जमानत आवेदन पत्र की कंडिका 3 के अनुसार आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उभय पक्षों के बीच पारिवारिक विवाद है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं आवेदकगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप पर विचारोपरांत आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक अभियुक्त मणिकान्त ठाकुर एवं 2. जूली कुमारी द्वारा आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर न्यायालय में आत्म समर्पण करने या गिरफ्तार होने पर मो0 10,000 रू0 साथ समान राशि के दो प्रतिभुओं सहित बंध–पत्र भा0 ना0 सु0 सं0 की धारा 482(2) के शर्तो के साथ दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि वे इस मामले के अनुसंधान एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे। लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम

Web Copy